रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062025-263939
CG-DL-E-18062025-263939

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165] नई दिल्ली, मंगलवार , जून 17, 2025/ज्येष्ठ 27, 1947
No. 165] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 17, 2025/JYAISTHA 27, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 17 जून, 2025

सं. यू-23013/14/2006-एल.डब्ल्यू(बी).— ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड कपूरथला, पंजाब में रेल कोच फैक्ट्री के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम प्रणाली के उन्मूलन की जाँच करने के लिए एदत्तवारा एक समिति का गठन करता है।

2. समिति का गठन और इसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:-

1. श्री सुरेंद्र कुमार पांडे, -अध्यक्ष
भारतीय मजदूर संघ
कुत्र. 107 पो-विश्रामपुर कोलियारी,
जिला- सूरजपुर, छत्तीसगढ़

2. श्री जयंत एस. देशपांडे, -सदस्य
ई-88, अमर कॉलोनी, रघुनाथ मंदिर के पास,
लाजपत नगर-4,
नई दिल्ली-110024

3. श्री बी.के. भाटिया, -सदस्य
अतिरिक्त महासचिव,
भारतीय खनिज उद्योग महासंघ (एफआईएमआई),
एफआईएमआई हाउस, बी-311, ओखला औद्योगिक क्षेत्र,
फेज-1, नई दिल्ली-110020

4. श्री मुकेश माथुर, -सदस्य
महासचिव,
उत्तर पश्चिमी रेलवे कर्मचारी संघ (एनडब्ल्यूआरईयू),
रेलवे बंगला नंबर 9बी,
गणपति नगर रेलवे कॉलोनी,
जयपुर (राजस्थान)

5. उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) -सदस्य संयोजक
चंडीगढ़

3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार से होंगे:-

"1. रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला की स्थापना में विभिन्न प्रकार के रेलवे यात्री डिब्बों की विनिर्माण प्रक्रिया के नौकरी/कार्यों में ठेका मजदूर प्रणाली की कार्यप्रणाली का अध्ययन करना, जिसके लिए यूनियन द्वारा ठेका मजदूर प्रणाली को समाप्त करने की मांग की गई है।
2. समिति को उपयुक्त सिफारिश करनी है कि आर.सी.एफ. कपूरथला की स्थापना में विभिन्न प्रकार के रेलवे यात्री डिब्बों की विनिर्माण प्रक्रिया में ठेका मजदूरों के नियोजन को ठेका (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित किया जाए या नहीं।

4. समिति का मुख्यालय चंडीगढ में होगा। समिति दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

जय भगवान, सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Central Advisory Contract Labour Board)

RESOLUTION

New Delhi, the 17th June, 2025

No.U-23013/14/2006-L.W(B). –- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question to abolition of contract labour in the establishment of Rail Coach Factory, Kapurthala, Punjab.

2. The composition of the Committee and its terms of reference will be as under:-

1. Shri Surendra Kumar Pandey, -Chairman
   Bharatiya Mazdoor Sangh
   Qutr. 107 Po-Vishrampur Koliyari,
   District- Surajpur, Chhatisgarh.

2. Shri Jayant S. Deshpande, -Member
   E-88, Amar Colony, Near Raghunath Mandir,
   Lajpat Nagar-4,
   New Delhi-110024

3. Shri B.K. Bhatia, -Member
   Additional Secretary General,
   Federation of Indian Mineral Industries (FIMI),
   FIMI House, B-311, Okhla Industrial Area,
   Phase-I, New Delhi-110020.

4. Shri Mukesh Mathur, -Member
   General Secretary,
   North Western Railway Employees Union (NWREU),
   Railway Banglow No. 9B,
   Ganpati Nagar Railway Colony,
   Jaipur (Rajasthan).

5. Deputy Chief Labour Commissioner (Central) -Member Convener
   Chandigarh.

2. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows: -

"1. To study the working of contract laobur system in the job/works of manufacturing process of various type of Railway passenger Coaches in the establishment of RCF, Kapurthala, for which abolition of contract laobur system has been sought by the union.

2. The committee has to make suitable recommendation whether or not the employment of contract laobur in manufacturing process of various type of Railway Passenger Coaches in the establishment of RCF

Kapurthala, be prohibited keeping in view of the provision of Section 10 of contract (Regulation & Abolition) Act, 1970."

4. The Headquarters of the Committee will be at Chandigarh. The Committee shall submit its report within two months.

JAI BHAGWAN, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.06.18 14:06:06 +05'30'